तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट शिवराम बनाम उदाराम मु.न. 2020/00134	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –
श्री मूलचन्द सौंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 28.07.2021

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचन्द सौंलकी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 955, 956 कुल रकबा 1.47 हैक्टयर भूमि स्थित है, प्रार्थीगण के दादा तीन भाई रूघाराम, रतनाराम व जयराम थे एवं प्रत्येक का सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा नॉशनल हिस्से में था परन्तु उक्त खातेदारी भूमि से जयराम के वारिसान ने अपना 1/3 हिस्से का बंटवारा वाद से अलग खातेदारी होने से उक्त खसरा की खातेदारी से जयराम के वारिसान के नाम वर्तमान खसरान की खातेदारी में दर्ज नहीं है ना ही उनका इस भूमि कोई हक हिस्सा है, प्रार्थीगण सुखाराम के वारिसान है प्रार्थीगण के दादा का नाम रतनाराम था जिसके तीन सन्तान स्व. किशनाराम, सुखाराम व रामनाथ थे जो फौत हो चुके है किसनाराम व रामनाथ के वारिसान द्वारा इस भूमि में अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिससे उनका नाम भी वर्तमान जमाबन्दी में नहीं रहा है इस प्रकार प्रार्थीगण के दादा के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के बंट हक हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा स्वर्गीय रूघाराम के वारिसान अप्रार्थीगण 1 से 8 के बंट हक हिस्से में है जिसका मौके पर बंटवारा हो रहा है। जबकि अप्रार्थीगण की नियत में फितूर आ गया है तथा खसरा नम्बर 956 में प्रार्थीगण के हिस्से में जो पश्चिमी तरफ है पर जबरन काबिज होकर पक्का निर्माण करने पर तुले हुए है जिसका उनहे कानूनी अधिकार नहीं है, प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिससे विधिवत रूप से भूमि का बंटवारा करने का वाद पेश किया है। उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.08.2020 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार ग्राम बडू के खसरा नम्बर 955, 956 कुल रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 8 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 955/1, 956/1 कुल रकबा 0.40 हैक्टयर भूमि लादूराम के वारिसान के नाम है, तथा खसरा नम्बर 955/2, 956/2 कुल रकबा 0.32 हैक्टयर भूमि आसुराम के वारिसान की खातेदारी में दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार रतनाराम के तीन पुत्र किशनाराम, सुखाराम, रामनाथ जिनमें प्रार्थीगण सुखाराम के वारिसान है, प्रार्थीगण ने किशनाराम व रामनाथ के वारिसान द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग करना बताया है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। बडू के खसरा नम्बर 955, 956 कुल रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे उक्त भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण ने जो तथ्य प्रार्थना पत्र में उठाये है वह मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है। कानूनन एक सह खातेदार दुसरे सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)